रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 561] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 13, 1983/अग्रहायण 22, 1905
No. 561] NEW DELHI, TUESDAY, DEC. 13, 1983/AGRAHAYANA 22, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 1983

आदेश सं. 34/83

का.आ. 907(अ).—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) की धारा-3 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर वाणिज्य मंत्रालय के आयात व्यापार नियंत्रण आदेश सं. 33/83, दिनांक 14 नवम्बर, 1983 के अधीन खुले सामान्य लाइसेंस सं. 1/83, दिनांक 15 अप्रैल, 1983 की अनुसूची के भाग-2 की हटाई गई प्रविष्टि सं. 9 को निम्नलिखित व्यौरे के साथ पुनः शामिल किया जाएगा :—

"प्लेटों/कायल्स से भिन्न आई.एस. 2062 या उसके समतुल्य विशिष्टीकरण के लिए कार्बन स्टील मदें"

[मि.सं. आईपीसी/5/2/81]
प्र. च. जैन, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 13th December, 1983

ORDER NO. 34|83

S.O. 907(E).—In Exercise of the powers conferred by Section 3 of Imports & Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), entry No. 9 in Part II of the Schedule to Open General Licence No. 1|83 dated 15th April, 1983, deleted under Ministry of Commerce Import Trade Control Order No. 33|83 dated the 14th November, 1983, shall be re-inserted with the following description :—

"Carbon steel items to IS-2062 or equivalent specification other than plates|coils".

[File No. IPC|5|2|81]
P. C. JAIN, Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983